न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 172/2011

1 भौमसिंह पुत्र जतनसिंह।
2 मदनसिंह पुत्र जतनसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण चिड़ासरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 श्रवण पुत्र केशरा।
2 राजेन्द्र पुत्र केशरा।
3 श्रीमती मंगली पत्नी केशरा समस्त जाति बलाई निवासीगण चिड़ासरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
4 सानू कंवर पत्नी जतनसिंह।
5 दीपु कंवर पुत्री जतनसिंह।
6 इच्छु कंवर पुत्री जतनसिंह।
7 सज्जन कंवर पुत्री जतनसिंह।
8 सुप्यार कंवर पुत्री जतनसिंह।
9 भंवरसिंह पुत्री जतनसिंह।
10 औंकारसिंह पुत्र केशरसिंह।
11 भवानीसिंह पुत्र केशरसिंह।
12 प्रेम कंवर पत्नी केशरसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण चिड़ासरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
13 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बहैसियत भूमिधारक।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 19.08.11
मुकदमा नम्बर 97/2010 उनवानी श्रवण आदि
बनाम भोमसिंह आदि न्यायालय सहायक कलेक्टर
प्रथम सीकर दावा इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राजात

उपस्थिति :

1. श्री जसवंत भूरिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 22.10.2021

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम द्वारा मुकदमा नम्बर 97/2010 में पारित निर्णय दिनांक 19.08.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 ने एक दावा उदघोषणा व दुरूस्ती विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि खसरा नम्बर 434,435,428,434/971 तन ग्राम चिड़ासरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है गत खसरा नम्बर 184,179/1 की खातेदारी वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 के पूर्वज सुखला पुत्र हीरा जाति बलाई के खाते, कब्जे, काश्त की थी, जतनसिंह व केशरसिंह ने सेटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों से साज कर आराजी खसरा नम्बर 434,435 की खातेदारी जतनसिंह के 1/2 हिस्से में व केसरसिंह के हिस्से में शेष आधे हिस्से की भूमि गलत दर्ज कर दी, जबकि सेटलमेन्ट विभाग को खातेदारी बदलने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। विवादित भूमि अनूसूचित जाति के व्यक्ति के खाते कब्जे काश्त की भूमि है जो प्रतिवादीगण के पूर्वज जतनसिंह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

व केशरसिंह स्वर्ण जाति के होने से किसी भी आधार पर दी जानी योग्य नही है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा विवादित भूमि की खातेदारी विधि विरूद्व प्रतिवादीगण के हक में की है जो दुरूस्त की जानी है। जिसके खातेदार काश्तकार वादीगण उदघोषित होने के अधिकारी है उक्त दावा दर्ज होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये, प्रतिवादी संख्या 2 अपीलांट ने दिनांक 19.08.2011 को अपना जवाब दावा दस्तावेजात के साथ प्रस्तुत किया, अन्य प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 को जवाब दावे की निश्चित अवधि में जवाब देने का मौका नही देते हुये विचारण न्यायालय ने कानून की किसी भी प्रकिया का पालन नही करके उसी दिन दिनांक 19.08.2011 को ही वादीगण का वाद विधि विरूद्व रूप से डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 434,435,428,434/971 तन ग्राम चिड़ासरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है गत खसरा नम्बर 184,179/1 की खातेदारी वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 के पूर्वज सुखला पुत्र हीरा जाति बलाई के खाते, कब्जे, काश्त की थी, जतनसिंह व केशरसिंह ने सेटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों से साज कर आराजी खसरा नम्बर 434,435 की खातेदारी जतनसिंह के 1/2 हिस्से में व केसरसिंह के हिस्से में शेष आधे हिस्से की भूमि गलत दर्ज कर दी, जबकि सेटलमेन्ट विभाग को खातेदारी बदलने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। विवादित भूमि अनूसूचित जाति के व्यक्ति के खाते कब्जे काश्त की भूमि है जो प्रतिवादीगण के पूर्वज जतनसिंह व केशरसिंह स्वर्ण जाति के होने से किसी भी आधार पर दी जानी योग्य नही है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा विवादित भूमि की खातेदारी विधि विरूद्व प्रतिवादीगण के हक में की है जो दुरूस्त की जानी है। जिसके खातेदार काश्तकार वादीगण उदघोषित होने के अधिकारी है प्रतिवादी संख्या 2 अपीलांट ने दिनांक 19.08.2011 को अपना जवाब दावा दस्तावेजात के साथ

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में पत्रावली दिनांक 27.07.2011 को वास्ते पेश करने जवाब दावा दिनांक 12.08.2011 को नियत की गई थी। दिनांक 12.08.2011 को जवाब दरख्वास्त हेतु दिनांक 19.08.2011 को नियत की गई। दिनांक 19.08.2011 को विचारण न्यायालय के समक्ष जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने इसी दिन विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया है। विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान कोर्ट मैन्यूअल के विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना, जवाब दावा प्राप्त होने के उपरांत तनकियात कायम किये बिना, उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त किये बिना विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वादीगण विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 434,435, 434/971 तन ग्राम चिड़ासरा तहसील दांतारामगढ़ पर अपने पूर्वजो के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है व भूमि खसरा नम्बर 434 में वादीगण ने आवासीय पुख्ता ढ़ाणी बना रखी है तथा आवासीय ढ़ाणी में पानी का कनेक्शन गांव के सार्वजनिक कुए से ले रखा है। खसरा नम्बर 434,435 पर अपीलांट का कभी कब्जा काश्त नही रहा न वर्तमान में है। खसरा नम्बर 434 व 435 गत खसरा नम्बर 184 व 179/1 से बने हुए है गत खसरा नम्बर 184 व 179/1 वादीगण के पूर्वज सुखला बलाई के खाते कब्जे काश्त की भूमि थी जो विरासत में वादीगण के पिता केसरा को प्राप्त हुई व उसकी मृत्यु पर विरासत के आधार पर वादीगण को प्राप्त हुई जिस पर वे बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। अपीलांट के पूर्वजो ने सेटलमेन्ट कर्मचारियों व अधिकारियों से साजकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 434/971 का रकबा 1.16 हैक्टेयर खसरा नम्बर 184 से बनना बताया है जबकि यह गत खसरा नम्बर 179/1 से बना है व वर्तमान खसरा नम्बर 428 रकबा 1.37 हैक्टेयर गैर मुमकिन सड़क जिसे गत खसरा नम्बर 179/1 रकबा 1.37 हैक्टेयर से बनना बताया है तथा खसरा नम्बर 428 रकबा 1.37 हैक्टेयर खातेदारी वादीगण के हक में अंकित कर दी। विचारण न्यायालय ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली दिनांक 27.07.2011 को वास्ते पेश करने जवाब दावा दिनांक 12.08.2011 को नियत की गई थी। दिनांक 12.08.2011 को जवाब दरख्वास्त हेतु दिनांक 19.08.2011 को नियत की गई। दिनांक 19.08.2011 को विचारण न्यायालय के समक्ष जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने इसी दिन विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया है। विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान कोर्ट मैन्यूअल के विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना, जवाब दावा प्राप्त होने के उपरांत तनकियात कायम किये बिना, उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त किये बिना विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 19.08.2011 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रकिया की पालना कर प्रकरण में पुन गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.11.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर